

सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना-15 दिनांक 14.2.20

वर्ष-2019 में पटना जल जमाव पर गठित समिति का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने से संबंधित दोषी पदाधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार तरुण, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1013/11, कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-734 दिनांक 10.02.2020 द्वारा किया गया है।

वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 में निहित प्रावधानों के तहत श्री वीरेन्द्र कुमार तरुण, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1013/11, कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिव महादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-08/आरोप-01-03/2020, सा०प्र०, 2371 / पटना, दिनांक 14.2.20
प्रतिलिपि- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-08/आरोप-01-03/2020, सा०प्र०, 2371 / पटना, दिनांक 14.2.20
प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/श्री वीरेन्द्र कुमार तरुण, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1013/11, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-12.14/चारित्री कोषांग, एवं आई.टी. मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-08/आरोप-01-03/2020, सा०प्र०, 2371 / पटना, दिनांक 14.2.20
प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित (दो प्रतियों में) बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

निबंधित
स्पीड पोस्ट